No.A18401/01/2005/DMS/Civil (Vol.III)
Government of India
Delhi Milk Scheme
West Patel Nagar
New Delhi-110008.

TENDER NOTICE

MODERNIZATION AND RENOVATION OF EXISTING MILK BOOTHS OF DMS.

1. For & on behalf of President of India, General Manager, Delhi Milk Scheme, invites sealed tenders from the interested parties / firms / companies for modernization and renovation of milk booths as per terms and conditions specified in the tender documents in lieu of rights for utilization of available space (on all walls except front wall) of milk booths for publicity and advertisement for a fixed period of three years.

2. There are about 600 DMS milk booths (existing plus new sites) situated at various locations all over Delhi. Initially about 200 such booths shall be covered under this project. Side walls of the booth can be used by the tenderer for generation of income by utilizing the space for advertisement/ publicity. The tenderer should have sound financial background (capable of investing up to 10 crores of Rupees in the Project) and rich experience in management of selling the space of advertisement and publicity and providing service of civil / electrical maintenance and construction work. The tenderer should have a turn over of Rs 10 crores annually during last three years. The financial status / rating shall be duly certified by Chartered Accountant / firm. This will constitute the part of the technical bid of the tender.

3. The construction of milk booths shall be of high standard and as per the specification and design furnished by DMS and the same shall be completed in a fixed time frame. The successful tenderer shall also carry out the maintenance of booths during the period of contract for which the tenderer will be allowed to use all walls (except front wall) of the constructed booths for publicity and advertisement business.

4. The tenderer will also be required to dismantle the existing booth structure, remove malba and debris, dispose of the same and rebuilt the booths with high standard modern construction facilities as per design submitted by D.M.S. Before the construction the tenderer will have to obtain necessary permission from the Ministry of Urban Development / MCD / Delhi Government / Civic Bodies etc. for construction and advertisement on booths at their own expense. Further whatever the laid down procedure or stipulations of the Hon'ble court in the case of hoarding / advertising etc. pending before Hon'ble Supreme Court, as the case may be will be followed by the tenderer at his own cost.

5. The interested parties / firms / companies may purchase tender documents from General Section of Delhi Milk Scheme (Room No 50) on any working day from 28.05.2009 up to 30.06.2009 between 10.00 A.M. and 1.00 P.M. by depositing Rs.500/- in cash (non refundable). Before submission of Technical & Commercial bids the interested parties may attend Pre bid conference with DMS officials on 03.07.2009 in room No.59, D.M.S., Admn. Block at 11.00 A.M. The tenders (Technical & Commercial Bids) will be placed in separate sealed covers duly earmarked. The Technical and commercial bids will then be placed in a single envelope and submitted. The bids will be received up to 2.00 PM on 15.07.2009 and thereafter the same shall be opened at 3.30 PM in Committee Hall (Room No.59). The interested parties may attend the tender opening on the said date, time & venue. Tender received late or without EMD will be summarily rejected. Further details DMS Website (www.dms.gov.in) may also be seen.

6. G.M., DMS reserves the right to accept or reject any or all tender offers without assigning any reason.

GENERAL MANAGER

Tele. No.25872455
Fax. No.25872466

सं0 ए. 18401/2005-डीएमएस/सिविल
भारत सरकार
दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर
नई दिल्ली-110008.

निविदा सूचना

दिल्ली दुग्ध योजना के मौजूदा मिल्क बूथों का आधुनिकीकरण और नवीकरण

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना निविदा दस्तावेजो में दिए गए नियमो व शर्तों के अनुसार मिल्क बूथो पर उपलब्ध स्थान ।सामने की दीवार के अतिरिक्त सभी दिवारों पर। तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रचार एवं विज्ञापन हेतु उपयोग करने के अधिकार के बदले मे मिल्क बूथो के आधुनिकीकरण और नवीकरण हेतु इच्छुक पार्टियो/फर्मो/कम्पनियों से मुहरबन्द निविदाए आमंत्रित करते है ।

2. दिल्ली में विभिन्न स्थानो पर 600 मिल्क बूथ ।मौजूदा तथा नए स्थल। हैं । प्रारम्भ में इस प्रोजेक्ट में 200 बूथों को लिया जाएगा । बूथ की साईड की दीवारों का उपयोग निविदादाता द्वारा विज्ञापन/प्रचार कर आय अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। निविदादाता सुदृढ वितीय पृष्ठाधार ।परियोजना में 10 करोड रु0 का निवेश करने हेतु सक्षम हो। तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु स्थान बेचने के प्रबंधन तथा निर्माण कार्य एवम् सिविल/विधुत रख-रखाव की सेवा मुहैया कराने में भरपूर अनुभव रखते हो। निविदादाता की गत तीन वर्षों की वार्षिक अवधि दौरान 10 करोड रुपये से अधिक की कुल बिक्री/आर्वत होनी चाहिए । वित्तीय स्थिति/रेटिंग चार्टर्ड एकाउटेंट/फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। यह इस निविदा की तकनीकी बिड का भाग होगा।

3. मिल्क बूथ का निर्माण उच्च स्तर का तथा डीएमएस द्वारा मुहैया कराए गए विनिर्देश एवं डिजाइन के अनुसार करना होगा तथा कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करना होगा । सफल निविदादाता को अनुबंध अवधि के दौरान बूथ का रखरखाव भी करना होगा, जिसके लिए निविदादाता को निर्मित बूथ के सभी दीवारों ।सामने की दिवार को छोड कर। को प्रचार तथा विज्ञापन व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी ।

4. निविदादाता को मौजूदा बूथ स्ट्रक्चरों को विखंडित करना होगा,मलबा व कचरा हटाना होगा, उसका निपटान करना होगा और दि0दु0यो0 द्वारा प्रदान की गई डिजाइन के अनुसार उच्च स्तरीय आधुनिक निर्माण सुविधाओं से बूथों का पुनः निर्माण करना होगा । निर्माण से पूर्व निविदादाताओं को अपने स्वंय के खर्च पर बूथों के निर्माण करने तथा उन पर विज्ञापन हेतु शहरी विकास मंत्रालय,दिल्ली नगर निगम/दिल्ली सरकार/सिविक बाडिज से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी । आगे विज्ञापन पट्टियों/विज्ञापनों आदि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्रियाविधि अथवा शर्त निर्धारित की गई है,उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है, जैसा भी मामला हो निविदादाता द्वारा स्वंय लागत वहन कर उनका पालन किया जाएगा/करना होगा ।

5. इच्छुक पार्टियां/फर्मे/कम्पनियां निविदा दस्तावेज दिल्ली दुग्ध योजना के सामान्य अनुभाग (कमरा सं0 50)से दिनांक 28.5.09 से 30.6.09 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 से अपराह्न 1.00 बजे के मध्य 500/-रु0 (अप्रतिदेय) का नकद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है । तकनीकी और कमर्शियल बिड प्रस्तुत करने से पूर्व इच्छुक पार्टियां दि0दु0यो0 के अधिकारियों के साथ दिनांक 3.7. 2009 को प्रातः 11.00 बजे दि0दु0यो0 के प्रशासनिक खण्ड कमरा सं0 59 में बोली/निविदा से पूर्व बैठक कर सकते हैं । निविदाएं (तकनीकी और कमर्शियल निविदाएं) विधिवत उदिष्ट अलग-अलग सील कवरों में रखी जाएगी । तत्पश्चात तकनीकी और कमर्शियल निविदाएं एक लिफाफे में प्रस्तुत की जाए । निविदाएं दिनांक 15.7. 2009 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी और तत्पश्चात उन्हें कमेटी हाल (कमरा सं0 59) में सायं 3.30 बजे खोला जाएगा । इच्छुक पार्टियां निविदा खोले जाने के समय नियत तारीख, समय व स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं । विलम्ब से प्राप्त तथा बयाना राशि रहित निविदाएं तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अन्य विवरण के लिए दि0दु0यो0 की वेबसाइट www.dms.gov.in भी देखें ।

6. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

महाप्रबन्धक
दूरभाष : 011- 25872455
फैक्स : 011- 25872466